न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 195/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. चुन्नीलाल पुत्र रामचन्द्र 2. रामाकिशन पुत्र रामचन्द्र 3. अर्जुनदेव जोशी पुत्र रामचन्द्र 4. शिम्भूप्रकाश पुत्र रामचन्द्र 5. नमदा पुत्री रामचन्द्र 6. शायरदेवी पुत्री रामचन्द्र 7. रूकमणी पुत्री रामचन्द्र 8. लीला पुत्री रामचन्द्र 9. सीतादेवी पुत्री रामचन्द्र सभी निवासी– नेवरारोड, तहसील ओसियॉ, जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, ओसियॉ 2. सरपंच, ग्राम पंचायत नेवरा रोड, तहसील ओसियॉ

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश जो उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा आदेश कमांक कोर्ट/2021/2010 दिनांक 20.7.2022 अनवान सरकार बनाम ग्राम पंचायत नेवरा रोड पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता, अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री सोनाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17 जुलाई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नेवरा रोड के ख0सं0 288/1, ख0सं0 289 व ख0सं0 291 व ख0सं0 296 में चल रहे रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.7.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि मे चल रहे रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड व नक्शें में करने के आदेश तहसीलदार ओसियॉ को दिये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश मनमाना, त्रुटिपूर्ण, विधि के विपरित पारित किया गया है क्योंकि उक्त आदेश से अपीलान्टस बिना किसी मुआवजे के अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो रहे है और बेदखल किये जा रहे है। अपीलान्टस के ग्राम नेवरा रोड के ख0सं0 288/1, ख0सं0 289 व ख0सं0 291 के खातेदार है एवं कब्जे काश्त करते आ रहे है जिसमें से अपीलाधीन आदेश के जरिये कमशः 0.0245 हैक्टर, 0.0180 हैक्टर व 0.0490 हैक्टर पर तहसीलदार ओसियॉ ने हल्का पटवारी से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

एकतरफा रिपोर्ट तैयार करवाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्टस/खातेदारान को बिना नोटिस जारी बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त खसरान भूमि से पूर्व से कोई रास्ता नहीं चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जॉच किये व साक्ष्य सबूत लिये ही सरसरी तौर पर रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया। वक्त सेटलमेन्ट से आज तक कोई रास्ता भूमि पर दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्ययालय ने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत अर्जन की कार्यवाही बिना हीं खातेदारी भूमि में मार्ग दर्ज करने का आदेश दे दिया। तथा उक्त आदेश के परिणामस्वरूप दर्ज रेकर्ड का नामा0 स्वीकार करने का आदेश भी दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था क्योंकि भूमि अर्जन की प्रकिया अपनाये बिना भूमि को रास्ते में परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है और न हीं खातेदारी भूमि को उनकी सहमति के बिना नये रास्ते में परिवर्तन किया जा सकता है और धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से खातेदार अधिकार समाप्त किये जा सकते है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार व ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा अपने व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये अपीलाधीन कार्यवाही सम्पादित करवाई गई है। जिसकी जॉच किये बिना ही सीधा रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन मामले में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उल्लेखित खसरान भूमि में कदीमी से रास्ता चलने का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.7.22 तथा नामा0 संख्या 1745 दिनांक 19.10.22 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने प्रत्युतर में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वह विधि अनुकूल एवं विधिक प्रावधानों के तहत प्रकिया अपनाते हुए ही पारित किया गया जिसमें अपीलान्टस की खातेदारी वाले खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर तहसीलदार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ही अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त खसरा भूमि में चल रहे रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में किये जाने के आदेश जनहित में पारित किये गये है। जो यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनाक 10.8.2016 के अनुसरण में सम्पादित की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त खसरान भूमि में चल रहे रास्ते को गुगल मैप में भी देखा जा सकता है, जो बारहमासी रास्ता है और उक्त रास्ता आज भी मौके पर ग्रामीणों के द्वारा उपभोग/उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त खसरान में ख0सं0 296 के खातेदार को अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा यह अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों को अंकित करते हुए प्रस्तुत की गई जो अस्वीकार करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश प्रसारित किये गये हे

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.07.2022 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा दिनांक 20.07.2022 को सरकार बनाम ग्राम पंचायत नेवरा रोड सम्बन्धी प्रकरण में खसरा संख्या 288/1, 289, 291 ग्राम नेवरा रोड में रास्ता सम्बन्धी आदेश पारित किया है, यह आदेश निजी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 288/1, 289, 291, 296 में किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय में मात्र सरकार व ग्राम पंचायत को ही पक्षकार बनाया है। निजी खातेदारी भूमि के काश्तकारों को न तो पार्टी बनाया गया है व न ही विधिवत सुनवाई की गई है। हितबद्ध काश्तकारान की सहमति भी पत्रावली पर नहीं पाई गई है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित व विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.7.2022 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की भविष्य में पालना सुनिश्चित की जावे। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 17 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर